HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Application No. 01/2025

IN

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application No. 1495/2024

IN

S.B. Criminal Appeal No. 1749/2024

Vishnu Son Of Tara Chand Sansi aged 30 years, Resident of Marwada Kachchi Basti, Road No. 17, Bear B.S.N.L. Office, P.S. Vishwakarma, Jaipur, At Present House No. 2, Raghunathpuri Colony, Laxminarayanapura Road, near Delhi Bye-Pass, P.S. Vishwakarma, Jaipur (Raj.)
(Currently in Judicial Custody at Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1379/2024

Rahul Kumar Son Of Arvind Kumar

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1380/2024

Dheeraj Kumar Son Of Late Shri Suraj Choudhary

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. S.S.Ola
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/03/2025

प्रार्थी–अभियुक्त विष्णु की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2025 पर यह प्रकरण सूचीबद्ध हुआ है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी–अभियुक्त के भाई राहुल का विवाह दिनांक 14.04.2025 को होना तय हुआ है, अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद रहा है। अतः भाई के विवाह में उपस्थित होने हेतु बीस दिवस की अंतरिम जमानत की सुविधा दिये जाने की प्रार्थना की गई। इस क्रम में विवाह कार्ड पेश किया गया है।

अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के खण्डन में विद्वान लोक अभियोजक की ओर से कोई प्रतिकूल तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत नहीं हुई है। उनकी ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार अभियुक्त के भाई राहुल का विवाह दिनांक 14.04.2025 को नियत है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को निर्णय दिनांक 25.07.2024 से धारा 8/ 29 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त के सगे भाई का विवाह दिनांक 14.04.2025 को होना नियत है, अतः उसे उक्त विवाह में शामिल होने हेतु दिनांक **12.04.2025 से चार दिन** की अंतरिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक **16.04.2025 को प्रातः दस बजे तक** स्वयं संबंधित कारागृह में उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे तब तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को फैक्स/ईमेल के जरिये प्रेषित की जाए। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक

समर्पण नहीं किये जाने पर संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /89-91